[11/3/2025]

प्रश्न सं. [क. 500]

अधिसूचना शहपुरा मंडी

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2009

क्रमांक/डी-15-13/2009/14-3: मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन 1973) की धारा 5 की उप धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुवे, राज्य सरकार एतदद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक के अधीन घोषित उप मंडी प्रांगण के संबंध में जिला जबलपुर की तहसील शहपुरा के मंडी क्षेत्र शहपुरा में निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है:-

क्षेत्र

(1) ग्राम पंचायत बरखेड़ा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र
(2) उप मंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:-

(1) सहजपुर (2) पतरिया (3) कंधरा (4) गजर (पिपरिया) (5) कटंगी (6) पोंड़ी (7) किरगोंद (8) धरमपुरा (9) बंधा (10) खैरी (11) बिलखरवा (12) मगरमुहाँ

नि.अ.सचि. 17/09/09

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(के.सी. पालीवाल) 15/9/09
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक/डी-15-13/2009/14-3
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2009

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15/9/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

8.66
दि. 17/9/09

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(के.सी. पालीवाल) 15/9/09
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय,भोपाल

<u>अधिसूचना</u>

भोपाल,दिनांक 15 सितंबर 09

क्रमांक/डी–15–13/2009/14–3. मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन 1973) की धारा 5 की उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 871/3555/14–1 दिनांक 11.2.1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी शहपुरा (भि.) तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बनी समस्त संरचना,अहाता,खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्–

स्थान

ग्राम पंचायत बरखेड़ा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.000 एकड़ भूमि का क्षेत्र:–

क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	135/2	2.000
	योग	2.000

जिसकी सीमाएं

उत्तर में – ग्राम सहजपुर
दक्षिण में – नर्मदा नदी
पूर्व में – ग्राम अरनपुरा
पश्चिम में – ग्राम नगरमुहैं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(के.सी.पालीवाल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक/डी–15–13/2009/14–3 [illegible]
[illegible] संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15/9/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(के.सी.पालीवाल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

9/10/9
566 – 1 मि 2 अम